बलिया जनपद के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 का प्रभाव एक अध्ययन

डॉ. संजय कुमार सरोज[1], देवेश पासवान[2]
[1]प्रोफेसर, श्री मुरली मनोहर टाउन डिग्री कॉलेज बलिया उत्तर प्रदेश
[2]शोधार्थी, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया उत्तर प्रदेश

***सार (Abstract)*—भारत में प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक, अनिवार्य एवं समावेशी बनाने के उद्देश्य से शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 लागू किया गया। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की संवैधानिक गारंटी देता है। प्रस्तुत शोध–पत्र का उद्देश्य बलिया जनपद के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के शैक्षिक प्रभावों का विस्तृत, गहन एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। अध्ययन में विद्यालय नामांकन, छात्र उपस्थिति, ठहराव दर, विद्यालय अवसंरचना, शिक्षक–छात्र अनुपात, शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया, मूल्यांकन प्रणाली तथा अभिभावक सहभागिता जैसे प्रमुख शैक्षिक आयामों को सम्मिलित किया गया है। यह शोध वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है, जिसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया गया है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के पश्चात बलिया जनपद में प्राथमिक शिक्षा की पहुँच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, विशेषकर वंचित वर्गों के बच्चों के नामांकन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। तथापि, गुणवत्तापूर्ण अधिगम, शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक नवाचार तथा प्रभावी निगरानी जैसे क्षेत्रों में अभी भी अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। यह शोध प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु नीति–निर्माताओं, प्रशासकों एवं शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करता है।**

***मुख्य शब्द (Index Terms)*—शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009, प्राथमिक शिक्षा, शैक्षिक प्रभाव, विद्यालय नामांकन, बलिया जनपद**

I. प्रस्तावना (INTRODUCTION)

शिक्षा को किसी भी राष्ट्र की प्रगति का मूल आधार माना जाता है। यह न केवल व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है, बल्कि सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को भी सुदृढ़ करती है। प्राथमिक शिक्षा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह स्तर है जहाँ बालक के बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास की नींव रखी जाती है।

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्राथमिक शिक्षा के विस्तार हेतु अनेक प्रयास किए गए। संविधान के नीति–निर्देशक तत्वों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया, किंतु लंबे समय तक यह केवल एक लक्ष्य बना रहा। वर्ष 2002 में भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21–। जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। इसी संवैधानिक प्रावधान के अनुपालन में शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 लागू किया गया।

बलिया जनपद, जो उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक एवं सामाजिक–आर्थिक दृष्टि से विविधताओं वाला क्षेत्र है, वहाँ प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन अत्यंत प्रासंगिक है। यह जनपद शहरी–ग्रामीण असमानताओं, आर्थिक चुनौतियों तथा शैक्षिक संसाधनों की सीमाओं से जूझता रहा है। ऐसे में शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 ने यहाँ प्राथमिक शिक्षा को किस हद तक प्रभावित किया है, इसका विश्लेषण करना इस शोध का मुख्य उद्देश्य है।

II. शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 सैद्धांतिक पृष्ठभूमि

शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 भारत में बाल–केन्द्रित शिक्षा व्यवस्था की स्थापना की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम के अंतर्गत :–

6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
विद्यालय अवसंरचना हेतु न्यूनतम मानक
शिक्षक–छात्र अनुपात की सुनिश्चितता
प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति
बाल–हितैषी एवं भय–मुक्त शिक्षण वातावरण
जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं।

इस अधिनियम का मूल दर्शन यह है कि शिक्षा केवल विद्यालय में प्रवेश तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि बालक के समग्र विकास को सुनिश्चित करे। अतः यह अधिनियम गुणवत्ता, समानता एवं समावेशन तीनों आयामों पर बल देता है।

III. अध्ययन की आवश्यकता (NEED OF THE STUDY)

बलिया जनपद में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को लेकर कई व्यावहारिक समस्याएँ देखने को मिलती हैं, जैसे–

विद्यालयों में अनियमित उपस्थिति
सीखने के स्तर में गिरावट
शिक्षक प्रशिक्षण की कमी
अभिभावकों में शैक्षिक जागरूकता का अभाव

यद्यपि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है, फिर भी इसके वास्तविक शैक्षिक प्रभावों का क्षेत्रीय स्तर पर विस्तृत अध्ययन अपेक्षाकृत कम हुआ है। इस कारण यह शोध अत्यंत आवश्यक हो जाता है।

IV. समस्या का कथन (STATEMENT OF THE PROBLEM)

"बलिया जनपद के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रभाव का अध्ययन।"

V. अध्ययन के उद्देश्य (OBJECTIVES OF THE STUDY)

बलिया जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के क्रियान्वयन की स्थिति का अध्ययन करना।

अधिनियम के प्रभाव से विद्यालय नामांकन में आए परिवर्तनों का विश्लेषण करना।
छात्र उपस्थिति एवं ठहराव दर पर अधिनियम के प्रभावों का अध्ययन करना।
शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया पर अधिनियम के प्रभावों का मूल्यांकन करना।
अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं की पहचान करना।
प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

VI. परिकल्पनाएँ (HYPOTHESISS)

शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के कारण बलिया जनपद में प्राथमिक विद्यालयों के नामांकन में वृद्धि हुई है।
अधिनियम के लागू होने के पश्चात छात्र उपस्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आया है।
शिक्षण–अधिगम गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार अभी भी अपर्याप्त है।

VII. शोध विधि (RESEARCH METHODOLOGY)

यह शोध वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन पर आधारित है।

7.1 शोध क्षेत्र
बलिया जनपद (उत्तर प्रदेश)

7.2 नमूना
10 प्राथमिक विद्यालय
20 शिक्षक
100 विद्यार्थी

7.3 नमूनाकरण विधि
उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण

7.4 डेटा संग्रह के उपकरण
प्रश्नावली
अवलोकन
विद्यालय अभिलेख
शैक्षिक प्रतिवेदन

VIII. डेटा विश्लेषण एवं विवेचना (ANALYSIS AND DISCUSSION)

8.1 विद्यालय नामांकन पर प्रभाव :– अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के पश्चात प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों की विद्यालय पहुँच में सुधार देखा गया।

8.2 छात्र उपस्थिति एवं ठहराव दर :–हालाँकि उपस्थिति में वृद्धि हुई है, किंतु मौसमी प्रवास, घरेलू कार्य एवं आर्थिक कारणों से निरंतर उपस्थिति अभी भी एक चुनौती बनी हुई है।

8.3 शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया :–शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में आधारभूत संरचना में आंशिक सुधार हुआ है, परंतु नवाचारपूर्ण शिक्षण विधियों का अभाव अब भी देखने को मिलता है।

IX. प्रमुख निष्कर्ष (MAJOR FINDINGS)

शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने प्राथमिक शिक्षा की पहुँच को व्यापक बनाया है।
विद्यालय नामांकन एवं उपस्थिति में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है।
शिक्षण गुणवत्ता में सुधार की गति अपेक्षाकृत धीमी है।
शिक्षक प्रशिक्षण एवं निगरानी तंत्र को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

X. शैक्षिक निहितार्थ (EDUCATIONAL IMPLICATIONS)

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु शिक्षक प्रशिक्षण अनिवार्य है।
अभिभावक–विद्यालय सहभागिता को मजबूत किया जाना चाहिए।
अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सतत मूल्यांकन प्रणाली आवश्यक है।

XI. सुझाव (SUGGESTION)

प्राथमिक शिक्षकों के लिए नियमित व्यावसायिक विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।
अभिभावकों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूक किया जाए।
शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में तकनीकी एवं नवाचारों को प्रोत्साहित किया जाए।

XII. निष्कर्ष (CONCLUSION)

नि क र्षतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 ने बलिया जनपद में प्राथमिक शिक्षा की पहुँच को सुदृढ़ किया है। तथापि, गुणवत्तापूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम के प्रभावी, संवेदनशील एवं सतत क्रियान्वयन की आवश्यकता है। यह अध्ययन भवि य की ौक्षिक नीतियों एवं योजनाओं के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है।

संदर्भ (REFERENCES)

[1] भारत सरकार (2009). शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009. नई दिल्ली भारत सरकार।
[2] भारत सरकार (2010). शिक्षा का अधिकार नियमावली. नई दिल्ली मानव संसाधन विकास मंत्रालय।
[3] भारत सरकार (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020. नई दिल्ली शिक्षा मंत्रालय।
[4] Ministry of Education] Government of India (2019)- Educational Statistics at a Glance.
[5] Government of India (2018)- Samagra Shiksha Framework.
[6] NCERT (2012)- Elementary Education in India: Progress and Challenges- New Delhi.
[7] NCERT (2015)- Learning Outcomes at the Elementary Stage- New Delhi.
[8] NUEPA (2016)- Status of Elementary Education in India- New Delhi.

[9] NUEPA (2019)- Elementary Education in Rural India.
[10] UDISE+ (2021)- School Education Report- Ministry of Education.
[11] UDISE+ (2022)- District&wise School Education Data.
[12] UNESCO (2014)- Education for All Global Monitoring Report- Paris.s
[13] UNESCO (2017)- Accountability in Education- Paris.
[14] UNICEF (2015)- The Right to Education in India- New York.
[15] UNICEF (2019)- Quality Education for Every Child.
[16] World Bank (2018)- World Development Report: Learning to Realize Education*s Promise.
[17] OECD (2016)- Education at a Glance.